भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2008

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

26 फाल्गुन, 1944 (शक)

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के अधीन ब्लॉक किए गए अकाउंटस और सोशल मीडिया सामग्री

2008. श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 के बाद से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत, यूट्यूब चैनल, ट्विटर अकाउंट आदि सहित अकाउंटस और अन्य सोशल मीडिया सामग्री को ब्लॉक करने हेतु जारी किए गए आदेशों की संख्या का चालू वर्ष सहित वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे आदेशों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें आईटी अधिनियम के अनुसार समीक्षा समिति के समक्ष रखा गया है और समिति द्वारा उन्हें निरस्त कर दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे आदेशों को सार्वजनिक नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे आदेशों को सार्वजनिक न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए एक खुला, सुरक्षित एवं विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है और इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69 क और सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 के तहत सूचना अभिगम को अवरुद्ध करने के लिए ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69क सरकार को संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित संज्ञेय अपराध को भड़कानेमें अपेक्षित या समीचीन होने पर अवरोध के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।

सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (जनता हेतु सूचना अभिगम को अवरुद्ध करने के लिए की गई पद्धतियाँ और सुरक्षोपाय) नियमावली, 2009 में यथा परिकल्पित उचित प्रक्रिया का अनुसरण करती है। वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023* (*10 मार्च 2023 तक)के

दौरान क्रमशः कुल 471 , 500 , 633 , 1385 , 2799 , 3635 , 9849 , 6118 , 6935 और 974 यूआरएल को अवरुद्ध करने के लिए ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें सोशल मीडिया यूआरएल, अकाउंट, चैनल, पेज, ऐप, वेबपेज, वेबसाइट आदि शामिल हैं।

(ख) : उपर्युक्त नियमों के नियम 14 के अनुसार, समीक्षा समिति दो माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगी कि क्या इन नियमों के अंतर्गत जारी निदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69क के प्रावधानोंके अनुसार हैं। अब तक, समीक्षा समिति ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के तहत जारी किसी भी आदेश को रद्द नहीं किया है।

(ग) और (घ) : जी, हां । उपर्युक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार, प्राप्त सभी अनुरोधों और शिकायतों और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।
